अवैध मादक पदार्थ 200 ग्राम एमडी (मेफैड्रोन) सहित तीन गिरफ्तार

- बाइक की सीट के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे मादक पदार्थ

कोटा, (निसं)। राजस्थान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के सतत प्रयासों के तहत केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन.) जयपुर व प्रतापगढ़ के अधिकारियों ने कंथर-नंदना रोड प्रतापगढ़ में संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अवैध 200 ग्राम एमडी (मेफैड्रोन) सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्यवाही उपनारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुन्देल के निर्देशन में की गई। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि तीन व्यक्ति कंथर-नंदना रोड, प्रतापगढ़ पर अवैध एमडी ले जाने वाले हैं। उक्त सूचना पर सीबीएन जयपुर और प्रतापगढ़ के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित की गई और टीम को मौके के लिये रवाना किया गया।

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शाहनवाज खान (Shahnawaz Khan) है लेकिन गलती से मेरे पासपोर्ट में नाम शाहनवाज खान (Shahnawaj Khan) आलेखित हो गया है। जबकि सही नाम शाहनवाज खान (Shahnawaz Khan) है मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाये। शाहनवाज खान पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी 363-ए, तलवण्डी, कोटा

कार्यालय नगर पालिका नैनवाँ जिला बूंदी (राज0)

क्रमांकः– भूमिशाखा/आपत्ति/2025/1152 दिनांकः– 01.07.2025

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न प्रार्थीगण ने स्वंय के भूखण्ड का पट्टा पंजीकरण/उपविभाजन/निर्माण स्वीकृती एवं विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत कियें गयें है। किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मिल्कीयत दस्तावेज सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दें, मियाद बाद कोई आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी तथा नियमानुसार पत्रावलीयां निस्तारित कर दी जावेगी।

क्र. सं	प्रार्थी का नाम	पता	पत्रावली शीर्षक	विवरण
1.	श्री महावीर प्रसाद आ0 श्री किशन लाल	वार्ड न. 19 नैनवाँ	नामान्तरण	भूखण्ड साईज 1500 वर्गफीट
2.	श्री विनोद कुमार जैन आ0 श्री गोपाल लाल जैन	रविन्द्र कॉलोनी नैनवाँ	नामान्तरण	भूखण्ड साईज 1200 वर्गफीट
3.	श्रीमती जुम्मी पत्नी श्री भवंर खान	तिरूपति नगर नैनवाँ	उपविभाजन	भूखण्ड साईज 1125 वर्गफीट
4.	श्रीमती अनिता पत्नी श्री मुरलीधर ,मीना कुमारी पत्नी श्री राधेश्याम	वार्ड न. 14 नैनवाँ	उपविभाजन	भूखण्ड साईज 1943.32 वर्गफीट
5.	श्री सोहन लाल जैन आ0 श्री गोपी लाल जैन	वार्ड न. 10 नैनवाँ	69 ए	भूखण्ड साईज 712.50 वर्गफीट
6.	श्री उमेश वैष्णव आ0 श्री बनवारी लाल	ज्योति नगर नैनवाँ	निर्माण स्वीकृति	भूखण्ड साईज 1000 वर्गफीट
7.	श्रीमती सोनू बानो पत्नी श्री शरीफ मोहम्मद	तिरूपति नगर नैनवाँ	निर्माण स्वीकृति	भूखण्ड साईज 1250 वर्गफीट
8.	श्रीमती अन्जू साहू पत्नी श्री धनराज साहू	डॉ हेडगेवार योजना नैनवाँ	निर्माण स्वीकृति	भूखण्ड साईज 569.24 वर्गफीट

राज.संवाद/सी/25/5441 अधिशाषी अधिकारी

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक : एफ 7/डी.टी.पी./2025/89-94 **विज्ञप्ति** दि. 2.7.2025

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु कोटा विकास प्राधिकरण मे विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस मे कोटा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नही किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड सं./ योजना का नाम	योजना/मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षैत्रफल
1.	श्रीमति रजनी सैनी पत्नि श्री जसवन्त सिंह	भूखण्ड संख्या A-1, A-2, A-23, A-24, A-25, A-26, A-27 योजना वर्धमान नगर ग्राम नान्ता, कोटा	आवासीय	सामान्य व्यवसायिक	1066.26 वर्गमीटर

सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-2323 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-2.7.25

नगर विकास न्यास कोटा की योजना न्यू मोटर मार्केट व्यवसायिक के भूखण्ड/दुकान संख्या 421 मै. जूबिया स्प्रे आर्ट प्रो. श्री अशफाक हुसैन पुत्र श्री बुन्दु खाँ को आवंटन/लॉटरी प्राधिकरण के पत्र दिनांक 08.01.2025 के द्वारा आवंटन किया गया था। आवंटी श्री अशफाक हुसैन की मृत्यु दिनांक 14.10.2021 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, वारिसान शपथ पत्र, गवाह शपथ पत्र, आई.डी.० इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अतः प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/दुकान संख्या 421 योजना न्यू मोटर मार्केट व्यवसायिक का नाम हस्तान्तरण श्रीमती नगीना बानो पत्नी स्व. श्री अशफाक हुसैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-296 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-30.6.25

नगर विकास न्यास कोटा की रानपुर आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या ई-259 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि.०न्यास के पत्र दिनांक 16.06.2025 को श्री देवेन्द्र अदलक्खा पुत्र श्री रमेश चन्द्र अदलक्खा को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड / आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री प्रमोद जैन पुत्र श्री सरदार मल जैन एवं श्रीमती पुष्पा जैन पत्नी श्री प्रमोद जैन द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.11.2024 को श्री अतुल कुमार बिनायक्या पुत्र श्री एस.सी.०बिनायक्या को को विक्रय कर दिया गया है क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 187 योजना वीरसावरकर नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री अतुल कुमार बिनायक्या पुत्र श्री एस.सी.० बिनायक्या के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/4434 दिनांकः 2.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुर्य प्रकाश विजय, श्री मधुसूदन विजय, श्री नगेन्द्र कुमार विजय, श्री यतीश कुमार विजय पिसरान स्व. श्री धनराज विजय निवासी-270 शोपिंग सेन्टर कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखंड संख्या-270 शोपिंग सेन्टर कोटा (राज.) नगर निगम कोटा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखंड संख्या-270 शोपिंग सेन्टर क्षेत्रफल-1600.48 वर्गफुट का कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल योजना कोटा द्वारा पत्र क्रमांक : 3048 मण्डी कमेटी/61 दिनांक 03.08.1961 से श्री धनराज पुत्र श्री कजोडी लाल के नाम नीलाम किया गया है। श्री धनराज पुत्र श्री कजोडी लाल की मृत्यु दिनांक 19.07.2002 को हो चुकी है। श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री धनराज की मृत्यु दिनांक 14.01.2023 को चुकी है। दोनों की मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्री सुर्य प्रकाश विजय, श्री मधुसूदन विजय, श्री नगेन्द्र कुमार विजय, श्री यतीश कुमार विजय पिसरान स्व. श्री धनराज विजय है। श्री सुर्य प्रकाश विजय, श्री मधुसूदन विजय, श्री नगेन्द्र कुमार विजय, श्री यतीश कुमार विजय पिसरान स्व. श्री धनराज विजय के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/4441 दिनांकः 2.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राकेश शर्मा पुत्र स्व. श्री के.एल. शर्मा निवासी भूखंड संख्या 87 दादाबाड़ी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 87 दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 87 दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल परियोजना कोटा द्वारा पत्र क्रमांक : लेखा/मण्डी/3369 दिनांक 10.10.1969 से श्री प्रहलाद कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल को किया गया। श्री प्रहलाद कुमार ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.10.1974 से उक्त भूखंड श्री कन्हैयालाल शर्मा पुत्र श्री बिशन लाल शर्मा को विक्रय कर दिया। श्री कन्हैयालाल शर्मा ने जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 21.05.2003 से उक्त भूखंड की वसीयत श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा के नाम कर दी। श्री कन्हैयालाल शर्मा का देहावसान दिनांक 12.02.2008 को हो जाने के उपरांत आवेदक श्री राकेश शर्मा पुत्र स्व. श्री के.एल. शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/4438 दिनांकः 2.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कमल कुमार मेघानी पुत्र स्व. श्री नानक चंद मेघानी निवासी-1/261 गणेश तालाब कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखंड संख्या-बी-323 इन्द्रा विहार कोटा (राज.) नगर निगम कोटा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखंड संख्या-बी-323 इन्द्रा विहार कोटा क्षेत्रफल-1800 वर्गफुट का कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा पत्र क्रमांक : 2013/35 दिनांक 09.04.2013 से भूखंड संख्या-बी-323 इन्द्रा विहार कोटा की श्री एन.सी. मेघानी पुत्र श्री रामचन्द्र के नाम लीज एग्रीमेंट जारी किया गया है। सब रजिस्ट्रार कोटा में पंजीयन कराने हेतु भिजवाया गया है। जो दिनांक 10.04.2013 को पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत हो चुका है। श्री एन.सी. मेघानी पुत्र श्री रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 06.04.2022 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके शेष विधिक वारिसान श्रीमती सावित्री मेघानी, श्री मनोज कुमार मेघानी, श्रीमती मोनिका मेघानी पिसरान स्व. श्री एन.सी. मेघानी ने पंजीकृत हक पत्र दिनांक 31.07.2024 से अपना हक श्री कमल कुमार मेघानी पुत्र स्व. श्री नानक चंद मेघानी के पक्ष में हकत्याग किया है। श्री कमल कुमार मेघानी पुत्र स्व. श्री नानक चंद मेघानी के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

हाईटेंशन लाइन से नहीं रखी पर्याप्त दूरी तो नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन

- बिजली की हाईटेंशन लाइनों के नीचे मकानों में करंट का खतरा
- बरतें विशेष सावधानी, जरा सी चूक पड़ सकती है भारी

कोटा, (निसं)। कोटा शहर में कई स्थानों पर हाईटेंशन विद्युत लाईनों के नीचे या हाईटेंशन लाईनों से बिना पर्याप्त दूरी रखे ही लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, इनमें से कई कच्ची बस्तियां भी है जहां असामाजिक तत्वों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर भोले-भाले गरीब लोगों को कम दामों पर प्लॉट बेच दिए और अपना आशियाना बनाने की चाहत में गरीब लोग अब विद्युत लाइनों के नीचे खतरे के बीच अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सकतपुरा क्षेत्र में काली बस्ती, बजरंगपुरा, हनुमान गढ़ी, डीसीएम क्षेत्र में प्रेमनगर प्रथम, द्वितीय व तृतीय, कंसुआ, विज्ञान नगर क्षेत्र में संजय नगर बस्ती, दादाबाड़ी क्षेत्र में शिवपुरा, हनुमान बस्ती आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हाईटेंशन विद्युत लाईनों के नीचे या उनके काफी नजदीक तक लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं। बारिश के समय इन इलाकों में लोगों को वैसे ही विद्युत लाईनों से हादसे की आशंका बनी रहती है, वहीं जरा सी गलती उनके लिए जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे स्थानों पर जहां विद्युत लाइनों के काफी नजदीक तक लोगों ने निर्माण कर लिए है, उन्हें केईडीएल की ओर से नोटिस भी दिए गए हैं। लेकिन लोगों को अवैध रूप निर्माण करने से रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा पुख्ता निगरानी की आवश्यकता है। केईडीएल के टेक्निकल हैड अनोमित्रो ढाली ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति विद्युत लाईनों के नजदीक मानक दूरी की अवहेलना करते हुए भवन निर्माण कर लेता है और उस मकान या संस्थान में नए विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो उस व्यक्ति को केईडीएल की ओर से नियमानुसार बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। ऐसे में लोग इस बात का ध्यान रखें की विद्युत लाइनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए ही भवन निर्माण करें।

बरसात में छतों पर नहीं जाएं- केईडीएल के टेक्निकल हैड अनोमित्रो ढाली ने बताया कि आमजन अपने जीवन को खतरे में नहीं डालें और विद्युत लाईनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए ही भवन निर्माण करें। आपके व आपके परिजनों के जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसे में विद्युत लाईन यदि आपके घर के नजदीक है तो वहां पर्याप्त दूरी छोड़कर पीछे से मकान बनाएं। वहीं जिन लोगों के मकान बने हुए है तथा विद्युत लाईन काफी नजदीक है या मकान की छत के ऊपर से गुजर रही है तो वे इस बरसाती मौसम में विशेष सावधानी बरतें ताकि कोई अनहोनी नहीं हों। विद्युत लाईनें मकानों के काफी नजदीक है तो छतों पर नहीं जाएं, छतों पर कपड़े आदि नहीं सुखाएं। बच्चों को भी इसके लिए जागरूक करें।

विद्युत लाइनों के नंगे तारों पर प्लास्टिक के पाइप चढाने की भूल नहीं करें-केईडीएल के टेक्निकल हैड अनोमित्रो ढाली ने बताया कि कई लोग अपने घर के पास से जा रही हाईटेंशन विद्युत लाईन या एलटी लाईन के नंगे तारों पर प्लास्टिक के पाईप को बीच में से चीर कर उसे तारों पर चढ़ा देते हैं, इसके बाद वे निश्चिंत हो जाते हैं कि अब यदि विद्युत लाईन के संपर्क में आ भी गए तो उन्हें करंट नहीं लगेगा, लेकिन यह लोगों की सबसे बड़ी भूल व नासमझी है। उसके नजदीक जाने पर विद्युत सुचालक वस्तु में करंट प्रवाहित हो जाता है। वहीं हाईटेंशन लाईन पर चढ़ाए गए प्लास्टिक के पाईप में बरसाती पानी भर जाने से वह हमेशा गीला बना रहता है तथा उसमें करंट प्रवाहित रहता है, ऐसे में प्लास्टिक के पाईप के संपर्क में आने से भी उसी तरह करंट लग सकता है।

आभूषण चोरी का आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। इटावा पुलिस टीम ने सोने के आभूषण चोरी के दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तर किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि 27 मई को इटावा थाने में फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि दो अज्ञात व्यक्ति उसकी दुकान पर सोने के जेवरात खरीदने आये, जो जेवरात खरीदते समय सोने के झुमके, नथ आदि आभूषण चोरी करके ले गये। ग्रामीण एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अज्ञात चोरो की तलाश के लिये पुलिस उप अधीक्षक शिवम जोशी के सुपरविजन में कार्रवाई की।

रीको रानपुर में हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत पौधारोपण

- प्रबंधक कार्यालय के पीछे स्थित रिक्त भूमि पर बुधवार को पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया

कोटा, (निसं)। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत रीको रानपुर, कोटा स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के पीछे स्थित रिक्त भूमि पर बुधवार को पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर लगभग 150 पौधों का रोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान लघु उद्योग भारती रानपुर इकाई एवं रीको, कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक रीको के वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक एम.के.शर्मा ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र को हरित और स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि रानपुर क्षेत्र में 400 से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा, जिनमें से प्रथम चरण में 150 पौधे लगाए जा चुके हैं।

इस अवसर पर रीको रानपुर इकाई के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि अभियान के तहत शीशम, गुलमोहर, अमरूद, जामुन, पीपल, अशोक सहित कई फलदार एवं छायादार पौधों का चयन किया गया है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में हरियाली के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। पौधरोपण कार्यक्रम में रीको क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव सक्सेना, लघु उद्योग भारती रानपुर इकाई के सचिव नभ शर्मा, कोषाध्यक्ष पुरण गुप्ता, सहित कई गणमान्य उद्योगपतियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। यह पहल न केवल पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों को हरियाली से आच्छादित करने की दिशा में सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी का भी परिचायक है।

रेलवे बोर्ड व जोनल रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन

कोटा, (निसं)। वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले बुधवार को कोटा लॉबी पर रनिंग स्टॉफ ने रेल प्रशासन द्वारा किये जा रहे पक्षपात पूर्ण व्यवहार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ कोटा मण्डल के मण्डल सचिव अब्दुल खालिक ने बताया कि दिनांक 01 जुलाई से 4 जुलाई तक वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा के आवाहन पर तीनों मण्डलों का रनिंग स्टॉफ रेल प्रशासन द्वारा अपनाये जा रहे दौहरे रव्वैये को लेकर पश्चिम मध्य रेल की सभी लॉबियों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

इसी कड़ी मे आज कोटा लॉबी पर रनिंग स्टाफ द्वारा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। रनिंग स्टॉफ को केवल सिम प्रदान की गई हैं, कोई भी मोबाईल सेट नही दिया गया है जिससे इस सिम का स्टॉफ के लिए कोई औचित्य नहीं है साथ ही कोटा स्टॉफ को बीना रनिंग रूम मे भेजने, ओवर हार्व्स ड्यूटी करवाने, मनमाने तरीके से सागर क्रेक चलवाने, आउट स्टेशन रेस्ट कम करने व रनिंग रूम मे व्याप्त अनियमितताओं को लेकर पूरे रनिंग स्टाफ मे रोष व्याप्त है, जिसके विरोध मे ही आज यह सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन मे मुख्य रूप से लोको शाखा सचिव मट्टू लाल मीना, अमरनाथ पाण्डेय, मुकेश शुक्ला, मुकेश डेक्वा, विजय मेघवाल, संदीप टेलर, गोविंद कारपेंटर, खेमराज मीना, किरोड़ी मीना, पूरणमल, दीपेंद्र समेत कई कर्मचारी उपस्थित रहे।

रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त एकत्रित

कोटा, (निसं)। इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा कोटा मे चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला की प्रेरणा से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गयाद्य संस्था के निदेशक अशोक कुमार मीना और कोषाध्यक्ष लक्ष्मण नैनानी ने बताया कि रेड क्रॉस सोसायटी कोटा और रक्तकोष फाउंडेशन की टीम के द्वारा जनसाधारण व थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के लिये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेडक्रॉस सोसायटी, कोटा समाजहित मे रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं।

शहर में डाली जा रही है पाइप लाइनें

- पालिकाध्यक्ष ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से साथ की समीक्षा

रामगंजमण्डी,(निसं)। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष शैलेश काला व नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेडतवाल ने बुधवार को नगर पालिका भवन में जलदाय विभाग रामगंजमण्डी के अधिशाषी अभियंता सोमेश मेहरा व सहायक अभियंता बच्चू सिंह मीणा के साथ पालिका क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा बिछाई जारी पाईपलाईन की समीक्षा की और जहां-जहा भी पाईपलाईन डल चुकी है वहां पर रोड को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए।

वहीं जहां पाइपलाइन डालना बाकी है वहां शीघ्र-अतिशीघ्र पाईपलाईन डालकर जल व्यवस्था को सुचारू रूप से करने पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर द्वारा स्वीकृत पेयजल योजना अमृत 1 अमृत 2 शीघ्र पूरा करने पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर भाजपा नेता महेंद्र सामरिया, पार्षद रामेश्वर अहीर, पार्षद लोकेश पवैचा, शिवराज मीणा, सतीश गौतम, वीरेंद्र सिंह शक्तावत,नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी तरुण लहरी व कनिष्ठ अभियंता हिमांशु अग्रवाल मोजूद रहे।

एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर रकम निकालने वाला आरोपी गिरफ्तार

- नाबालिग को भी किया निरूद्ध
- डूप्लीकेट चाबी और टेप की मदद से ठगी का खुलासा, यूट्यूब से सीखा तरीका

कोटा, (निसं)। जवाहर नगर इलाके के तलवंडी में स्थित एसबीआई के एटीएम में एक अनोखे ठगी के मामले का खुलासा हुआ है जहां युवक सहित नाबालिग ने डुप्लीकेट चाबी और टेप की मदद से लोगों के खातों से पैसे निकालकर ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी सहित नाबालिग को निरूद्ध किया।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि 29 जून को फरियादी लोकेन्द्र सिंह ने अज्ञात जनों के खिलाफ एटीएम मशीन से छेड़खानी कर लोगों की रकम निकालने की रिपोर्ट दी। शहर एसपी ने बताया कि बैंक प्रतिनिधि की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की एवं एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटैज खंगाले गये। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने एटीएम मशीन में रकम निकालने के आरोप में एक शातिर आरोपी सहित नाबालिग को निरूद्ध किया है। जवाहर नगर थानाधिकारी रामलक्ष्मण ने बताया कि आरोपी उत्तरप्रदेश निवासी अभिषेक वर्मा और उसका एक नाबालिग साथी कोटा में केवल एटीएम ठगी करने के इरादे से आए थे, और एसबीआई के जवाहर नगर एटीएम को अपना निशाना बनाया। इन्होंने पहले डुप्लीकेट चाबी से एटीएम खोलने की तकनीक सीखी और फिर मशीन के ट्रेलर पर टेप चिपका दी ताकि ट्रांजैक्शन के बाद पैसा बाहर न निकलकर मशीन में फंसा रहे। थानाधिकारी ने बताया कि दोनों एटीएम के पास खड़े होकर ग्राहकों के ट्रांजैक्शन पर नजर रखते थे।

जैसे ही कोई ग्राहक पैसा निकालकर चला जाता वे तुरंत अंदर जाकर डुप्लीकेट चाबी से एटीएम खोलते और टेप में फंसी नगदी निकाल लेते थे। इस पूरी योजना को उन्होंने यूट्यूब से सीखा था। थानाधिकारी ने बताया कि एटीएम मशीन में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो संदिग्ध नजर आने पर कार्यवाही करते हुए गांव चांदनापुर थाना हुसैनगंज जिला फतेहपुर उत्तरप्रदेश निवासी शिवा उर्फ अविनाश वर्मा को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी के पास से एटीएम मशीन से चोरी किये गये 20 हजार रूपये बरामद किये। बाल अपचारी को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेजा गया है जबकि अभिषेक वर्मा को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध पिस्टल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। बोरखेड़ा थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि शहर एसपी के निर्देश पर अवैध गतिविधियों व अवैध हथियारों व उनके सप्लायर के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के लिये अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत इलाके के नया नोहरा के समीप अवैध हथियार पिस्टल लेकर वारदात की फिराक में घुमते हुए नयागांव निवासी अंकित गोस्वामी (18) को आर्म्स एक्ट में पकडा।

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele Fax No.-07432-232230 Email Id-defjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक: एफ ( )स्टोर/उवसं/2025-26/7858 दिनांक:-30.06.2025

अल्पकालीन खुली निविदा

सूचना संख्या-10/2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26 व 2026-27 (अधिकतम 2 वर्ष के लिए) विधिक प्रजातियों के बीज क्रय हेतु Rate Contract Based Bids are invited from interested bidders From 30-06-2025 Upto 03-07-2025 (Time 6:00 PM) Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) of the state. The approximate value of the procurement is (Rs 274000/0)

UBN-FOR 2526GSRC00814

NIB-FOR 2526A0649

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/4439 दिनांकः 2.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मुकेश शर्मा पुत्र स्व. श्री कान्ती चंद्र शर्मा निवासी भूखंड संख्या 120-बी शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 120/बी, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 30'x30'=900 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 120 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 30'x60'=1800 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल परियोजना कोटा द्वारा पत्र क्रमांक : लेखा/मण्डी/3340 दिनांक 09.10.1989 से श्री कान्ती चन्द्र शर्मा पुत्र गणपत लाल शर्मा को किया गया। कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा उप-विभाजन आदेश क्रमांक ननिको/वि.न.जोन/भ.नि.अनु./2016/758-59 दिनांक 02.05.2016 से उक्त भूखंड का भूखंड संख्या 120/ए शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 30'x30'=900 वर्गफुट एवं भूखंड संख्या 120/बी शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 30'x30'=900 वर्गफुट के रुप में उपविभाजन स्वीकृत किया गया। श्री कान्ती चन्द्र शर्मा ने जर्ये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 27.05.2025 से भूखंड संख्या 120/बी, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 30'x30'=900 वर्गफुट की वसीयत श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री कान्ती चन्द्र शर्मा के नाम कर दी। श्री कान्ती चन्द्र शर्मा का देहावसान दिनांक 12.01.2018 को हो जाने के उपरांत आवेदक श्री मुकेश शर्मा पुत्र स्व. श्री कान्ती चन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/4440 दिनांकः 2.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री योगेश शर्मा पुत्र स्व. श्री कान्ती चंद्र शर्मा निवासी भूखंड संख्या 120-ए शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 120/ए, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 30'x30'=900 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 120 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 30'x60'=1800 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल परियोजना कोटा द्वारा पत्र क्रमांक लेखा/मण्डी/3340 दिनांक 09.10.1989 से श्री कान्ती चन्द्र शर्मा पुत्र गणपत लाल शर्मा को किया गया। कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा उप-विभाजन आदेश क्रमांक ननिको/वि.न.जोन/भ.नि.अनु./2016/758-59 दिनांक 02.05.2016 से उक्त भूखंड का भूखंड संख्या 120/ए शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 30'x30'=900 वर्गफुट एवं भूखंड संख्या 120/बी शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 30'x30'=900 वर्गफुट के रुप में उपविभाजन स्वीकृत किया गया। श्री कान्ती चन्द्र शर्मा ने जर्ये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 27.05.2025 से भूखंड संख्या 120/ए, शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 30'x30'=900 वर्गफुट की वसीयत श्री योगेश शर्मा पुत्र श्री कान्ती चन्द्र शर्मा के नाम कर दी। श्री कान्ती चन्द्र शर्मा का देहावसान दिनांक 12.01.2018 को हो जाने के उपरांत आवेदक श्री योगेश शर्मा पुत्र स्व. श्री कान्ती चन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर पालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

क्रमांक: न.पा.रा./2025/1650 दिनांक: 2.7.25

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका द्वारा अनुमोदित योजना में पट्टा नियमन आवंटन बाबत निम्न पत्रावलिया प्राप्त हुई है। उक्त पत्रावलियों में पट्टा दिये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के सात दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रुप में प्रस्तुत कर दें। समयवधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम मय पता	राजस्व ग्राम मय खसरा नं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	कॉलोनी का नाम
1	श्रीमती गायत्री गुप्ता पत्नी श्री रामबाबू गुप्ता जाति महाजन निवासी खैराबाद	खैराबाद 763	56	1000 वर्गफुट	महावीर कॉलोनी
2	श्रीमती टीना जोशी पत्नी श्री रामेश्वर पटवा जाति पटवा निवासी खैराबाद	खैराबाद 763	64	800 वर्गफुट	महावीर नगर
3	श्री मनोज करनानी पुत्र श्री गेहीलाल जाति सिन्धी निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3937/581,582 583,584,586	8 E part	760.08 वर्गफुट	शांति कुंज
4	श्री मनोज करनानी पुत्र श्री गेहीलाल जाति सिन्धी निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3937/581,582 583,584,586	8 W part	781.87 वर्गफुट	शांति कुंज
5	सुश्री जसप्रीत कौर पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह सलूजा जाति सिक्ख निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3937/581,582 583,584,586	56	700 वर्गफुट	शांति कुंज
6	सुश्री जसप्रीत कौर पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह सलूजा जाति सिक्ख निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3937/581,582 583,584,586	55	700 वर्गफुट	शांति कुंज
7	भाग्य श्री कॉर्पोरेट्स एल.एल. पी. जर्ये डेजिगनेटेड पार्टनर मनोज करनानी पुत्र श्री गेहीलाल जाति सिन्धी निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3937/581,582 583,584,586	14	540 वर्गफुट	शांति कुंज
8	श्री घनश्याम मेघवाल पुत्र श्री फूलचंद जाति मेघवाल निवासी हनोनिता तहसील रामगंजमंडी	खैराबाद 3231 व 3232	40	986.75 वर्गफुट	आदिनाथ परिसर
9	श्रीमती बलविन्दर कौर पत्नी श्री जसलीन सिंह जाति सिक्ख निवासी रामगंजमण्डी	गोरधनपुरा 780/106,783/101, 792/782,794/786, 788/97	4	1843.39	सूर्य नगर
10	सुश्री शानू तिवारी पुत्री श्री नन्द किशोर जाति ब्राह्मण निवासी खैराबाद	खैराबाद 3937/581,582 583,584,586	22	900 वर्गफुट	शांति कुंज
11	श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी रामगंजमण्डी	खैराबाद 3937/581,582 583,584,586	68	1125 वर्गफुट	शांति कुंज
12	श्री हेमन्त राव पुत्र श्री उमाशंकर राव जाति राव निवासी खैराबाद	खैराबाद 3937/581,582 583,584,586	65	875 वर्गफुट	शांति कुंज

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रामगंजमण्डी